भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एंव किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4917

23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि

4917. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

श्री दिव्येन्दु अधिकारीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कृषि उपज की उत्पादन लागत कई गुना बढ़ चुकी है और यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने हेतु 14 से अधिक खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृषि उपजों के एमएसपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है;

(ग) कितने कृषि उपजों के एमएसपी में वृद्धि नहीं की गई है;

(घ) सरकार के इस कदम से किसानों को किस सीमा तक राहत मिलेगी और उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा;

(ङ) सरकार द्वारा किसानों को, विशेषकर सूखे की स्थिति में कृषि उपज में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार ने भारत में चावल की खेती पर एमएसपी के प्रभाव के मूल्यांकन का अध्ययन किया है या ऐसे किसी अध्ययन के बारे में जानकारी है; और

(छ) क्या उत्तर भारत का बड़ा भाग पानी की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है जिससे गेहूं और चावल की खेती प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो सरकार द्वारा खेती के लिए पानी आरक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हो?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा 22 अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की जाती है जिसमें 14 खरीफ फसलें शामिल हैं।

सीएसीपी अपनी सिफारिश करते समय अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का उपयोग करता है। यह उत्पादन लागत कृषि आदानों की मुद्रास्फीति पर विचार करने के बाद सीएसीपी द्वारा यथा आकलित समग्र लागत है।

2018-19 के केन्द्रीय बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुणा के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने 2018-19 मौसम के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा के साथ सभी अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की थी। सरकार ने हाल में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा प्रदान करने संबंधी सिद्धांत के तर्ज पर 2019-20 मौसम के लिए सभी खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की है। 2018-19 और 2019-20 के लिए एमएसपी, लागत, लागत पर मुनाफा और प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) ये अधिदेशित एमएसपी फसलें देश में कुल कृषि उत्पादन (इसमें बागवानी शामिल नही है) का लगभग 99 प्रतिशत हैं। सरकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अनुरोध पर उन बागवानी फसलों के लिए, जो नाशवान हैं और कुछ कृषि फसलों के लिए, जिन्हें न्यूनतम समर्थन समर्थन मूल्य के तहत कवर नहीं किया गया है, बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) का कार्यान्वयन करती है।

(घ): सरकार आमतौर पर सभी अधिदेशित फसलों के पिछले वर्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की तुलना में उनके न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करती है। अधिक एमएसपी से किसानों को अधिक मुनाफा/आय सुनिश्चित होगा। यह आवश्यक नही है कि अधिक एमएसपी से बाजार मूल्य में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो। मूल्य, अन्य बातों के साथ-साथ मांग और आपूर्ति स्थितियों पर निर्भर करता है और यद्यपि एमएसपी में वृद्धि की गई है, किंतु इनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में मुद्रास्फीति कम और वांछित स्तर पर रही है।

(ड.) सरकार ने उत्पादन की लागत को कम करने, पैदावार स्तरों में वृद्धि करने तथा किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के संबंध में अनेक पहल की है जिसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), नीम लेपित युरिया (एनसीयू), एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जैव कीटनाशक, गुणवत्ता बीजों का उत्पादन एवं उसकी आपूर्ति, जल बचत उपकरणों यथा छिड़काव सेटों, ड्रीप सिंचाई पद्धति आदि को बढ़ावा देना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, मौजूदा स्थिति के अनुसार निश्चित उपाय करने के लिए राज्यों को सलाह देकर फसल और मौसम निगरानी समूह की बैठकों के साथ-साथ विडियों कंफ्रेंसिग के माध्यम से मॉनसून की प्रगति एवं क्षेत्रीय कवरेज आदि की साप्ताहिक निगरानी की जाती है। सूखे प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (क्रिडा) द्वारा 648 जिलों के लिए जिला कृषि आपदा योजनाएं तैयार की गई है। राष्ट्रीय

खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत ऐसी आपात फसलें यथा दलहनों, बाजरा, तिलहनों के बीजों के वितरण का प्रावधान है जो वर्षा सिंचित/सूखे प्रभावित क्षेत्रों में न्यूनतम उपलब्ध जल के साथ सूखे से निपटने तथा जीवित रहने के लिए कारगर हैं।

(च) तथा (छ): नीति आयोग ने "किसानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों का प्रभाव" शीर्षक पर एक अध्ययन का कार्य किया है। उक्त अध्ययन में 14 राज्य, 36 जिले, 72 ब्लॉक, 144 गांव तथा 1440 परिवार शामिल हैं। उक्त अध्ययन दोनों प्राथमिक एवं द्वितीय आंकड़ों पर आधारित है अध्ययन संदर्भावधि वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक थी। उक्त अध्ययन से यह पता चला है कि सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से उन 78 प्रतिशत किसानों को प्रोत्साहन मिला है जिन्हें खेती की उन्नत पद्धतियों अर्थात बीजों की उच्च पैदावार वाली किस्मों, कार्बनिक खाद, रसायनिक उर्वरक, कीटनाशकों तथा लाभकारी मूल्यों के कारण फसल कटाई की उन्नत पद्धतियों आदि को अपनाने के लिए उक्त अध्ययन के तहत कवर किया गया है।

उत्तर भारत सहित देश के विभिन्न भागों में भू-जल स्तरों में कमी के कारण गिरावट हो रही है। इसका कारण विभिन्न उपयोगों के लिए ताजा जल की मांग में वृद्धि, वर्षा की अनियमितताएं, जनसंख्या में बढ़ोत्तरी, औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण आदि है।

सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातो के साथ-साथ, दलहनों, तिलहनों, मोटे अनाज/पोषाहार अनाजों, कपास तथा कृषि वन जैसी वैकल्पिक फसलों के रूप में जलयुक्त धान की रोपाई वाली फसलों के क्षेत्र को अंतरित करने के लिए 2013-14 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) संबंधी एक उप-योजना के रूप में मूल हरित क्रांति वाले राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाण एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल विविधिकरण कार्यक्रम (सीडीपी) शामिल हैं ।

अनुबंध-।

दिनांक 23.07.2019 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4917 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

लागत*, एमएसपी और मुनाफा

(रू./क्विंटल)

क्र.सं.	जिन्स	2018-19		2019-20			
	खरीफ फसलें	लागत*	एमएसपी	लागत*	एमएसपी	लागत पर % मुनाफा	2018-19 की तुलना में 2019-20 में प्रतिशत वृद्धि
1	धान (सामान्य)	1166	1750	1208	1815	50.2	3.7
	(ग्रेड ए)^		1770		1835		3.7
2	ज्वार (हाईब्रिड)	1619	2430	1698	2550	50.2	4.9
	(मालदंडी) ^		2450		2570		4.9
3	बाजरा	990	1950	1083	2000	84.7	2.6
4	मक्का	1131	1700	1171	1760	50.3	3.5
5	रागी	1931	2897	2100	3150	50.0	8.7
6	अरहर (तूर)	3432	5675	3636	5800	59.5	2.2
7	मूंग	4650	6975	4699	7050	50.0	1.1
8	उड़द	3438	5600	3477	5700	63.9	1.8
9	कपास (मध्यम रेशें)	3433	5150	3501	5255	50.1	2.0
	(लंबे रेशें) ^		5450		5550		1.8
10	मूंगफली छिलका रहित	3260	4890	3394	5090	50.0	4.1
11	सूरजमुखी बीज	3592	5388	3767	5650	50.0	4.9
12	सोयाबीन (पीला)	2266	3399	2473	3710	50.0	9.1
13	तिल	4166	6249	4322	6485	50.0	3.8
14	रामतिल	3918	5877	3960	5940	50.0	1.1
	रबी फसलें						
1	गेहूं	866	1840				
2	जौ	860	1440				
3	चना	2637	4620				
4	मसूर (लेन्टिल)	2532	4475				
5	रेपसीड/सरसों	2212	4200				
6	कुसुम्भ	3294	4945				
	अन्य फसलें						
1	कोपरा (मिलिंग)	5007	7511	6347	9521	50.0	26.8
	(बाल)^		7750		9920		28.0
2	पटसन	2267	3700	2535	3950	55.8	6.8

* इसमें सभी भुगतान की गई लागतें शामिल हैं जैसे किराया मानव श्रम, बैल श्रम/मशीन श्रम, पट्टा भूमि के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार जैसे भौतिक आदानों के उपयोग पर व्यय, उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सैटों आदि के प्रचालन के लिए डीजल/बिजली, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य।

^ धान (ग्रेड ए), ज्वार (मालदांडी), कपास (लंबा रेशा) एवं कोपरा (बाल) के लिए लागत आंकड़ें पृथक रूप से संकलित नहीं किए जाते हैं।

*****